पूर्वोत्तर रेलवे
अधिसूचना

महाप्रबंधक(का0)/गोरखपुर के पत्र सं0 का/286/2/2/एए/भाग–2/5दिनांक 25/10/17 के परिप्रेक्ष्य में पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ मंडल के समाडि विभाग में वर्ष–2017 हेतु संशोधित रिक्तियों एंव योग्यता के आधार पर निर्धारित ट्रेडों में प्रशिक्षण हेतु एक्ट अप्रैन्टिस प्रशिक्षुओं के चयन के लिए निम्न ट्रेडों में आवेदन पत्र निर्धारित प्रोफार्मा (प्रारूप संलग्न है) पर आमंत्रित किये जाते है।

क्र. सं.	ट्रेड	कुल रिक्तियां	सामान्य	अ0जा0	अ0ज0जा0	अपिव	प्रशिक्षण अवधि एनसीवीटी/एससीवीटी
1	फिटर	34	17	05	03	09	नियमानुसार
2	वेल्डर	02	01	00	00	01	नियमानुसार
3	कारपेन्टर	03	02	00	00	01	नियमानुसार
4	ट्रीमर	01	01	00	00	00	नियमानुसार
5	मशीनिष्ट	02	01	00	00	01	नियमानुसार
6	पेन्टर	01	01	00	00	00	नियमानुसार
	योग	43	23	05	03	12	

वांछित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति एंव फोटो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित व स्वहस्ताक्षरित होने चाहिए।

(अ) आवेदन भेजने का पता– **मण्डल रेल प्रबन्धक(कार्मिक),**
पूर्वोतर रेलवे, अशोक मार्ग
लखनऊ–226001

(ब) आवेदन प्राप्त करने की **अंतिम तिथि – 30.11.2017 है।**

आवेदक हेतु ध्यान देने योग्य बातें:–

1– रेलवे बोर्ड के पत्र सं0–ई(एमपीपी) 2009/6/14 दिनांक–06.10.2015 द्वारा निर्देशित शर्तो के अनुसार आवेदन पत्र के साथ **प्रोसेसिंग फीस** 100/– रूपये का पोस्टल आर्डर (Not Refundable) संलग्न करना होगा, जो विसमुलेधि पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के पक्ष मे देय होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति एंव शारीरिक रूप से विकलांग/महिला उम्मीदवारों को प्रोसेसिंग फीस से छूट प्रदान की गयी है।

2– महाप्रबन्धक(का0) गोरखपुर के पत्र सं0–का/286/2/2/एए/भाग–।।/पॉच दिनांक–25.10.2017 के अनुसार चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा जो आई टी आई तथा मैट्रिकुलेशन (न्यूनतम 50 प्रतिशत) की परीक्षा में प्राप्त कुल अंको के औसत के आधार पर होगी। **शैक्षिणिक/तकनीकी अर्हता**–हाईस्कूल में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा सम्बन्धित ट्रेड में मान्यता प्राप्त संस्थान से आई टी आई पास प्रमाण पत्र आवश्यक है। आई टी आई(एनसीवीटी)अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में ही आई टी आई(एससीवीटी)अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जायेगा।

3– **आयु**– दिनांक – **30.11.2017** को 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच अर्थात अधिकतम 24 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा में अ0जा0/अ0ज0जा0 को 05 वर्ष एंव अपिवा को 03 वर्ष की छूट देय होगी।

4– प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु को अप्रेन्टिस एक्ट–1961 के प्रावधान के अनुसार नियमानुसार मासिक वृत्तिका देय होगी।

5– अभ्यर्थी की आयु यदि 18 वर्ष से कम है तो उसके अभिभावक संविदा समझौता (एग्रीमेंट) करना आवश्यक होगा।

6– प्रशिक्षार्थी अप्रेन्टिस एक्ट–1961 नियम के अन्तर्गत जो भी शर्त होगी मानने के लिए बाध्य होगा तथा इस नियम के अन्तर्गत दी गयी शर्तो की उल्लघन की स्थिति में प्रशिक्षण से वापस कर दिया जायेगा। तथा इन्हें प्रशिक्षण पर व्यय किये गये धनराशि का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि प्रशिक्षण अवधि में प्राशिक्षार्थी का आचरण उत्तम नहीं पाया गया तो प्रशिक्षण से वंचित कर दिया जायेगा। तथा उसे प्रशिक्षण का व्यय वहन करना पड़ेगा इसमें रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।

7– प्रशिक्षार्थी को मात्र अप्रेन्टिस प्रशिक्षण पूरा पास करने के आधार पर रेलवे में नौकरी प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

8– रेलवे बोर्ड के पत्र सं0–ई(एमपीपी)/2002/6/10 दि0–31.7.06 के अनुसार सेवा के जवानों के बच्चों एंव भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 प्रतिशत पद आरक्षित रहेगें इसके अतिरिक्त 3 प्रतिशत सीटें विकलांग कोटे (1 प्रतिशत ओ.एच.,1 प्रतिशत वी.एच. एंव 1 प्रतिशत एच.एच.) के लिए आरक्षित होगें।

9– आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी पाये जाने पर आवेदन रद्द कर दिया जायेगा। रद्द एंव अचयनित आवेदनों की कोई सूचना अभ्यर्थी को रेल प्रशासन द्वारा नहीं दी जायेगी।

10– किसी भी अभ्यर्थी का चयन रेल प्रशासन किसी भी समय रद्द कर सकता है और इस संबंध में कोई पत्राचार/साक्षात्कार मान्य नहीं होगा। रेल प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा।

11– डाक द्वारा भेजी गयी सूचना नहीं मिलने पर भी रेल प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

12– चयनित अभ्यर्थियों की सूची मण्डल रेल प्रबन्धक(कार्मिक) कार्यालय पूर्वोत्तर रेलवे अशोक मार्ग ,लखनऊ के सूचना पट्ट पर चस्पा तथा पूर्वोत्तर रेलवे के वेवसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर प्रकाशित की जायेगी।

13– यदि कोई चयन के लिए किसी प्रकार की पैरवी स्वंय अथवा किसी अन्य के माध्यम से करायेगा तो उसकी पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

14– रेलवे में कार्यरत कर्मचारी अपने आश्रित पुत्र/पुत्री का आवेदन पत्र एंव अपना घोषणा पत्र इस कार्यालय को सीधे दे सकते है परन्तु चयन में किसी प्रकार की प्राथमिकता का प्रावधान नहीं है।

15– आवेदन पत्रों में निम्न कमी पाये जाने पर उन्हें रद्द कर दिया जायेगा–––

15.1–विज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रारुप पर आवेदन न होने पर।

15.2–अधूरे /अस्पष्ट /ओवर राइटिंग/कटिंग किये हुए आवेदन।

15.3–न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अभाव में एवं अहस्ताक्षरित आवेदन।

15.4–बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर के बिना संलग्न प्राप्त आवेदन।

15.5–अधिसूचना जारी होने की तिथि के पूर्व के बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर के साथ प्राप्त आवेदन।

15.6–शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता व आरक्षण से संबन्धित प्रमाण पत्र के अभाव में।

15.7–अल्पायु/अधिक आयु होने की स्थिति में।

15.8–दो अलग–अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र न संलग्न करने की स्थिति में।

15.9–अन्य कोई अनियमितता पाये जाने पर।

16– आवेदन पत्र को लिफाफा में बन्द करके एंव रजिस्टर्ड डाक से ''मण्डल रेल प्रबन्धक (का0) कार्यालय पूर्वोत्तर रेलवे, अशोग मार्ग, लखनऊ (उ0प्र0) के पते पर भेजना होगा। लिफाफे पर आवेदक का नाम, संबंधित ट्रेड एंव **एक्ट अप्रेन्टिस प्रशिक्षु चयन हेतु आवेदन पत्र वर्ष–2017 (परिवर्धित)** अवश्य लिखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आवेदनपत्र सम्बन्धित कार्यालय में सभी कार्यदिवसों में10.00बजे–05.00बजे तक जमा किया जा सकता है।

17– फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी सभी अर्हता पूर्ण करते हों ।

18– उक्त अधिसूचना पूर्वोत्तर रेलवे की वेवसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है।

संलग्नक–आवेदन पत्र का प्रारूप एंव घोषणा पत्र का प्रारूप।

कृते मण्डल रेल प्रबन्धक(का0)
लखनऊ

सं0–ई / ।।/227 / एक्ट अप्रेन्टिस / मैके0(सीएण्डडब्लू) / ट्रेनिंग / पार्ट– । / 2016 दिनांक– /10/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महाप्रबन्धक(का0) गोरखपुर
2– मं0रे0प्र0 / अ0मं0रे0प्र0 / लखनऊ
3– सभी विभागाध्यक्ष / पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ
4– मं0रे0प्र0 पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी एंव इज्जतनगर
5– कोचिंग डिपो / लखनऊ,गोण्ड,गोरखपुर
6– मुख्य कारखाना प्रबन्धक पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
7– मुख्य कारखाना प्रबन्धक सिगनल कारखाना पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर छावनी
8– समस्त सी0से0इंजी0 लखनऊ मण्डल
9– मण्डल मंत्री / नरमू / एससी,एसटी / ओबीसी एसोसिएशन / लखनऊ
10–जनसम्पर्क अधिकारी लखनऊ–कृपया समाचार पत्रों तथा रोजगार सूचना पत्र में प्रकाशन की व्यवस्था करायें।
11–रिजनल डाइरेक्टर अप्रेन्टिस ट्रेनिंग उद्योग नगर कानपुर
12– क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, लखनऊ
13– सूचना पट्ट मं0रे0प्र0 कार्यालय

2810017

कृते मण्डल रेल प्रबन्धक (का0)
लखनऊ

उपरोक्त शैक्षिक प्रमाण पत्र के लिए विद्यालय द्वारा जारी प्राप्तांक तालिका एंव प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें।

10– अन्य योग्यतायें..
(सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

11– दो स्थाई शारीरिक पहचान चिन्ह
अ...
ब...

12– दो चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।

13– यदि आवेदक के पिता रेल कर्मचारी है तो संलग्न प्रमाण पत्र विभागीय राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर जमा करें।

दिनांक..............................

संलग्नक........................

....
आवेदक का हस्ताक्षर

सेवा में
मण्डल रेल प्रबन्धक(कार्मिक),
पूर्वोत्तर रेलवे, अशोक मार्ग
लखनऊ–226001

नवीनतम फोटो

विषयः– प्रशिक्षु प्रशिक्षण के चयन हेतु आवेदन पत्र।
संदर्भः– इस कार्यालय की अधिसूचना सं0–ई/ ।।/227/एक्ट
अप्रै0/मैके0(सीएण्डडब्लू)/ट्रेनिगं/पार्ट– ।/2016, दिनांक–

उपर्युक्त अधिसूचना के संदर्भ प्रार्थी ट्रेडं प्रशिक्षु/प्रशिक्षण पद के लिए आवेदन करता है तथा यह भी घोषित करना कि मेरे ऊपर अप्रेन्टिस एक्ट एंव समय–समय पर परिवर्तित सभी नियम लागू होगें।

(आवेदक द्वारा स्वंय भरा जाना है)

1– आवेदक का नाम...

2– पिता का नाम तथा व्यवसाय..............................

3– जन्मतिथि................. अधिसूचना के अनुसार दि0–30.11.17 को आयु......... वर्ष............ माह........
दिन (राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

4– स्थाई निवास का पूरा पता
ग्राम/मोहल्ला...डाकखाना..
जिला...................................... प्रदेश............................पिन कोड.............................

5– पत्र व्यवहार का पूरा पता
ग्राम/मोहल्ला...डाकखाना..
जिला...................................... प्रदेश............................पिन कोड.............................

6– क्या अनु0जाति/अनु0जन जाति व अपिव के अभ्यर्थी है यदि हां तो स्पष्ट रूप से लिखेः–
(राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)
जाति..........................उपजाति..........................

7– राष्ट्रीयता.. धर्म.......................................

8– विवाहित/अविवाहित.
यदि विवाहित है तो क्या एक से अधिक पत्नी हैः– हॅा.................. नहीं..........................

9– शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताः–

परीक्षा	वर्ष	विद्यालय का नाम	विषय	प्रतिशत अंक	संबंधित बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम

पूर्वोत्तर रेलवे

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल (मं0रे0प्र0(का0)) में प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए पुत्र/पुत्री के चयन हेतु कार्यरत कर्मचारियों का घोषणा पत्र।

1– कर्मचारी का नाम...

2– पी0एफ0सं0..

3– पदनाम...

4– विभाग/शाखा..

5– नियुक्ति तिथि...

6– वेतनमान...

7– वर्तमान वेतन..

8– पुत्र/पुत्री का नाम...
(जिसका आवेदन पत्र संलग्न किया है)

9– अन्य पुत्र/पुत्रियों का नाम जो रेलवे में सेवारत है..

....

....

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री श्री.. जिसका आवेदन पत्र संलग्न है ने आवेदन पत्र में जो विवरण दिया है वह सत्य है यह मेरे ऊपर आश्रित है। यदि इसमें कोई बात असत्य पायी जाती है तो मैं इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूंगा ।

पूरा हस्ताक्षर

(नाम......................................)

विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आवेदन कर्ता श्री...
.........पी0एफ0सं0..........................पद......................... कार्यालय/शाप/स्थान...
दिनांक.............................. से नियमित सेवा में कार्यरत है।

(विभागीय अधिकारी का हस्ताक्षर)

नाम..

पद...

(मुहर सहित)